पंकज दीक्षित, भा.प्र.से., जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक 02.03.2017 को अपराह्न 03.00 बजे टाउन थाना परिसर, किशनगंज में साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने हेतु जिला स्तरीय शांति समिति एवं होली पर्व, 2017 के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण हेतु असैनिक पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों एवं प्रबुध नागरिकों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार संधारित।

–: कार्यवाही :–

कार्यक्रमानुसार दिनांक 02.03.2017 को साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने हेतु जिला स्तरीय शांति समिति एवं होली पर्व, 2017 के अवसर पर जिला में विधि–व्यवस्था एवं शांति–व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श हेतु प्रखंड विकास पदधिकारियों/अंचल अधिकारियों, वरीय पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं प्रबुध नागरिको के साथ आदर्श थाना परिसर किशनगंज में बैठक सम्पन्न हुई।

सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक–सह–सचिव, जिला स्तरीय शांति समिति, किशनगंज द्वारा सभी सदस्यों एवं मीडिया कर्मियों का स्वागत किया गया एवं अवगत कराया गया कि साम्प्रदायिक सद्भावना समिति की जिला स्तर पर पंचम बैठक है उनके द्वारा बताया गया कि पिछले बैठक में जो सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा निर्णय लिये गये थे उसका अनुपालन भी किया गया है। साथ ही उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि जो बैठकों में उपस्थित नहीं हो रहे हों वे भी अपने–अपने क्षेत्र में सृजनात्मक कार्यक्रम का रूप–रेखा तैयार कर यथाः साम्प्रदायिक सद्भाव बनाना, चौक–चौराहे की साफ–सफाई आदि कार्यक्रम चलाकर समाज के लोगों के साथ प्रशासन से मिलकर अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में प्रयासरत् रहें।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम प्रबुद्ध नागरिकों से गत माहों में सम्पन्न हुए पर्व/त्योहार के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से की गयी कार्रवाई में कमी तथा अपने अनुभव के आधार पर सुझाव आमंत्रित किये ताकि भविष्य में इसका अनुपालन किया जा सके।

प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा अपनी–अपनी राय व्यक्त की गई जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

1. मो0 कमरूल होदा, उपाध्यक्ष, जिला परिषद–सह–सचिव, नागरिकता एकता मंच द्वारा अनुरोध किया गया कि नागरिकता एकता मंच के सदस्यों के लिये फोटो सहित पहचान पत्र अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जाय ताकि नागरिकता एकता मंच के सदस्यों के द्वारा परिचय पत्र के साथ बताया जा सके कि वे नागरिकता एकता मंच के सदस्य है।
2. बिहार सरकार की ओर से शराब पूर्णतः बन्द है, फिर भी किशनगंज जिला बंगाल राज्य एवं नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बंगाल एवं नेपाल से शराब की तस्करी कर किशनगंज जिलान्तर्गत लोगों के पास चोरी–छीपे लाते है। जिसके कारण कभी–कभी शराबी नजर आ जाते है जिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।
3. मोटर साईकिल पर तीन सवारी के बिन्दु पर पूर्णतः वर्जित करने का सुझाव दिया गया साथ ही चौक–चौराहे पर एवं अन्य जगहों पर बिना वजह गाड़ी रोक कर सड़क में आवागमन बाधित किया जाता है वैसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया। साथ ही अनुरोध किया गया कि कुछ दिन पूर्व थानाध्यक्ष द्वारा ऑपरेशन मँजनू चलाया गया था वह बंद कर दिया गया है, जिसे पुनः चालू कराया जाय।

4. वर्त्तमान में नेशनल हाई स्कूल में परीक्षा चल रही है एवं उसके सामने से जो सड़क लाईन होते हुए सुभाषपल्ली जाता है उसी सड़क होते हुए उँची आवाज में प्रचार–प्रसार करते हुए वाहन गुजरती है जिससे परिक्षार्थी की एकाग्रता नष्ट होती है। नेशलन स्कूल के पास उँची आवास में प्रचार–प्रसार बन्द करने का सुझाव दिया गया।
5. श्री बुलन्द अख्तर हाशमी द्वारा बताया गया कि होली रंगों का त्योहार है एवं रंग–अबीर डालने से लोग परेशानी नहीं होती है बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा यदि कोई रोगी को आवश्यक चिकित्सा हेतु रास्ते से गुजर रहे हों एवं उन पर रंग–अबीर डाला जाता है, जो परेशानी का कारण बनती है, जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
6. श्री प्रमोद वैध के द्वारा बताया गया कि 8(आठ) सी.सी.टी.भी. कैमरा सौदागर पट्टी से फलपट्टी चौक तक लगाये जाने का प्रस्ताव है। पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया कि वे स्थान चिन्हित कर दें ताकि तद्नुसार सी.सी.टी.भी. कैमरा स्थापित किया जा सके।
7. मो0 खुर्शीद, वार्ड न–5 /नूर मोहम्मद के द्वारा जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया कि किशनगंज शहर में अत्यधिक संख्या में टोटो उपलब्ध रहने के कारण बाजार में काफी जाम बना हुआ रहता है जिसके कारण आम जनता को काफी परेशानी उठाना पड़ता है। इसलिए टोटो वालों का रूट व्यवस्थित किया जाय।
8. श्री पप्पु के द्वारा दिनांक–11.03.2017 को उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2017 का आने वाला परिणाम एवं संभावित उत्पन्न होने वाले स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया कि उक्त अवसर पर विशेष चौकसी बरतने की आवश्यकता है।
9. शहर में साफ–सफाई एवं स्वच्छता के लिए अध्यक्ष, नगर परिषद, किशनगंज का ध्यान आकृष्ट किया गया। साथ ही अधोहस्ताक्षरी से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने स्तर से भी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज को निदेश देना चाहेंगे।

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय शांति समिति, किशनगंज द्वारा सभी सदस्यों एवं मीडिया कर्मियों एवं उपस्थित पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए विभिन्न व्यक्ति द्वारा विभिन्न मुद्दों पर उठाये गये सवालों एवं सुझावों पर अपना मन्तव्य व्यक्त किया गया।

(i) नागरिक एकता मंच के सदस्यों के लिए फोटो सहित पहचान पत्र निर्गत करने के संबंध में विधिसंगत आवष्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ii) शराब पूर्णतः वर्जित है एवं इस संबंध में कई स्तर पर बैठकें हुई है एवं प्रशासन को जैसे सूचना प्राप्त होती है उस पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है एवं दोषी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है। भविष्य में भी आपके द्वारा एवं किसी अन्य श्रोतों से प्रशासन को सूचना मिलने पर निश्चित रूप से तुरन्त कार्रवाई की जायेगी।

(iii) मोटर साईकिल पर तीन सवारी एवं चौक–चौराहे एवं अन्य जगह पर नाजायज गाड़ी रोक कर आवागमन को बाधित करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बताया गया कि नया बस स्टैण्ड बन रहा है इसके लिए भी अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी।

(iv) विद्यालय परिसर से सटे सड़क एवं उससे गुजरते हुए उँची आवाज में प्रचार–प्रसार करती वाहन के संबंध में बताया गया इस पर भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

(v) श्री प्रमोद वैध द्वारा सी.सी.टी.भी. कैमरा लगाये जाने के बिन्दु पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वागत किया गया एवं कहा गया कि वे स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि किस–किस स्थलों पर सी.सी.टी.भी. कैमरा

लगना चाहिए विशेष आवश्यकता होने पर अनुमंडल दंडाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, किशनगंज से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(vi) टोटो का रूट बदलवाने के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में सरकार भी चिन्तित है। टोटोवाले की जीविका उसी टोटो से चलता है हम लोकतांत्रिक देश में रहते है एवं कोई भी कार्रवाई लोकतांत्रिक ढंग से लिया जायेगा न कि तानाशाही बनकर। इस संबंध में टोटो संघ के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। संघ के प्रतिनिधियों के साथ विमर्शोपरान्त उचित निर्णय लिया जायेगा।

(vii) किशनगंज शहर में साफ–सफाई एवं स्वच्छता बने रहे इस आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज को निदेश दिया गया कि वे इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष **होली पर्व दिनांक 13–14 मार्च, 2017 को मनाया जायेगा।** छोटी–छोटी बातों को लेकर विधि–व्यवस्था भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए होली पर्व, 2017 के अवसर पर विधि–व्यवस्था एवं सद्भावना बनाये रखने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को सतर्क एवं सचेष्ट रहते हुए क्षेत्र में स्थिति पर कड़ी चौकसी एवं निगरानी रखने हेतु निदेशित किया किया। साथ ही, निम्नांकित निदेश दिए गए :–

1. किशनगंज जिला अल्पंख्यक बहुल है, अतः साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु विशेष सत्तर्कता की आवश्यकता है।
2. होलिका दहन कार्यक्रमों के दौरान सघन निगरानी रखी जाय ताकि असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास नहीं किया जाय।
3. कोई भी व्यक्ति किसी की इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति पर रंग/गुलाल आदि का प्रयोग न करें, इसका विशेष ध्यान रखा जाय।
4. बिहार सरकार के द्वारा शराब पूर्णतः बंद रख है फिर भी सीमावर्त्ती राज्य से शराब मंगा कर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा होली पर्व के अवसर पर शराब पीकर आपसी रंजिश एवं सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाय।
5. इस त्योहार के अवसर पर विधि–व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों एवं उपद्रवियो पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा आवश्यकता पड़ने पर तुरंत विधिसंगत कार्रवाई की जाय।
6. पूर्व में दिया गया था कि सभी थाना में होली पर्व–2017 के अवसर पर शांति समिति की बैठक कर ली जाय। जिस थाना में अभी तक शांति समिति की बैठक नहीं हुई है, वे शीघ्र ही शांति समिति की बैठक कर अनुपालन प्रतिवेदन अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज को भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची तैयार कर भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द बनाए रखने में मदद ली जा सके।
7. अधीक्षक, उत्पाद, किशनगंज होली पर्व के अवसर पर विभागीय निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
8. संवेदनशील स्थानों की पूर्व पहचान कर एहतियाती कार्रवाई समय पर कर ली जाय।
9. आसूचना संग्रह करते हुए असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई की जाय।
10. होली पर्व के अवसर पर पूर्णकालीन पेट्रोलिंग, गश्ती एवं निगरानी की जाय।
11. सीमा क्षेत्र के थानाध्यक्ष सीमा पर विशेष चौकसी रखेंगे। साथ ही, समन्वय स्थापित कर क्षेत्र में लगातार गश्ती करेंगे।

12. जिला अग्निशाम पदाधिकारी, किशनगंज दिनांक 12.03.2013 से 15.03.2013 तक अग्निशाम वाहन तैयार कर समाहरणालय परिसर में रखेंगे।

विमर्शोपरांत यह भी निर्णय लिया गया कि –

(i) विधि–व्यवस्था संधारण हेतु निर्गत संयुक्त आदेश में उल्लिखित संवेदनशील स्थलों के अतिरिक्त अन्य संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(ii) सिविल सर्जन, किशनगंज किसी भी आकस्मिकता से निपटने हेतु सचेष्ट रहेंगे तथा **आपातकालीन चिकित्सा सेवा** बहाल रखेंगे एवं सभी स्वास्थ्य उप केन्द्र/केन्द्रों को भी इस संबंध में निदेशित करना सुनिश्चित करेगे।

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला सामान्य प्रशाखा,
किशनगंज।

(पंकज दीक्षित, भा.प्र.से.)
जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 245 /जि.सा., किशनगंज, दिनांक 04 /03/2017

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष (महिला/एस.सी./एस.टी. थाना सहित), किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला अग्निशाम पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल दंडाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक/उप विकास आयुक्त/ अपर समाहर्त्ता/सिविल सर्जन, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ।

प्रतिलिपि :– पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णियाँ क्षेत्र, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित। ।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी., समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेब–साईट पर अपलोड करते हुए ई–मेल से प्रेषण करना सुनिचित करेंगे।

वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला सामान्य प्रशाखा,
किशनगंज।

(पंकज दीक्षित, भा.प्र.से.)
जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।